

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679  
Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 66 / 36 सी

दिनांक रानीखेत जनवरी 6, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।

**विषय :-** थला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग निर्माण। (प्रस्ताव सं० 9401/2015)


**सन्दर्भ :-** आपका पत्रांक 2171/12-1(2) दिनांक 15.10.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर ऑन लाईन प्रेषित कर दिया गया है, जिसकी हार्ड कापी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

- संलग्न :-**
1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन।
  2. वृक्षों की संशोधन सूची।
  3. मार्ग के दोनो ओर वृक्षों का प्राक्कलन।

नयालय सं० 7203  
4-10-20  
12-1-16  
2203



(कुन्दन लाल वर्मा)  
अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत।

रि- 7203 / 12-1 (2) दिनांक 15/10/2015  
मूल में इस आशय से प्रत्यावर्तित किया जा रहा है कि प्रस्तावित परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना एवं मार्ग के दोनो ओर वाली स्थानों पर वृक्षारोपण की योजना पुरानी करी से बनाई गई है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना ₹-2,09,366/- प्रति हेक्टेयर की दर से एवं मार्ग के दोनो ओर वाली स्थानों पर वृक्षारोपण की योजना ₹-3,22,102/- प्रति हेक्टेयर की दर से वन सेवाधिकारी जीरासी से प्राप्त कर पुनः प्रस्तुत की जाय।

**प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**

प्रतिनिधि वन सेवाधिकारी जीरासी को निवेदित किया जाता है कि सभी योजनाओं से उपर्युक्त प्राक्कलन बनाकर उचित विधि से प्रेषित किया जाय।

36 C LETTER - ARVINDS92

प्रतिनिधि वन सेवाधिकारी जीरासी को उपरोक्त आशय का कार्य देकर प्रेषित/ रेसप्लिड करके प्रेषित करें।  
2364/12-1(2) दिनांक 31-01-15 को जारी किया गया है।  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा